भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2592**

16 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

**विषय: कृषि उत्पादकता पर घटिया उर्वरकों का प्रभाव**

2592. श्री परषोत्तमभाई रुपालाः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि घटिया उर्वरकों के उपयोग से देशभर में कृषि उत्पादकता और किसानों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को मौजूदा उर्वरक अधिनियम में संशोधन का अनुरोध करने वाले अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खराब गुणवत्ता वाले उर्वरकों के विनिर्माण या वितरण में शामिल व्यक्तियों को प्रायः उल्लंघन के पैमाने के बावजूद न्यायालयों द्वारा केवल मामूली दंड के साथ रिहा कर दिया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उर्वरक अधिनियम में संशोधन करने तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा नकली उर्वरकों के उपयोग से प्रभावित किसानों को पर्याप्त मुआवजा प्रदान करने के लिए दंड को मजबूत करने हेतु उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): मंत्रालय अवमानक उर्वरकों की समस्या से अवगत है। उर्वरकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर राज्यों को अभियान चलाने के निर्देश दिए जाते हैं। राज्य सरकारों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत विधिक और नियामक प्रावधानों के कार्यान्वयन की सलाह दी गई है। इसका उद्देश्य किसानों को गुणवत्तापूर्ण इनपुट्स की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

मंत्रालय के अधीन केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान की माध्यम से निरीक्षण करके, सैंपल लेकर और उनका परीक्षण करके स्वतः आवश्यक प्रवर्तन कार्रवाई भी की जाती है। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में की गई प्रवर्तन कार्रवाइयों का विवरण निम्नानुसार है-

| **वर्ष** | **छापेमारी की संख्या** | **जारी किए गए 'कारण बताओ नोटिस'** | **निरस्त/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या** | **दर्ज की गई एफ.आई.आर.** | **दोष सिद्धि** |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 1,66,375 | 6,781 | 627 | 169 | 0 |
| 2023-24 | 1,81,153 | 2,603 | 477 | 240 | 10 |
| 2024-25 | 1,80,286 | 2,876 | 1,135 | 350 | 28 |
| 2025-26 (दिनांक 05.12.2025 तक की स्थिति के अनुसार) | 3,51,312 | 3,984 | 1,447 | 68 | 3 |

सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक अथवा मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 (एफ.सी.ओ.) को लागू कर रही है। एफ.सी.ओ. के अंतर्गत, उल्लंघनों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को प्रवर्तन प्राधिकरण के रूप में शक्तियाँ दी गई हैं। तदनुसार, राज्य प्राधिकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करते हैं। एफ.सी.ओ. के प्रावधानों के किसी भी प्रकार का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई जैसे प्राधिकरण पत्र का निरस्तीकरण एवं निलंबन तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत तीन माह से सात वर्ष तक का कारावास हो सकता है। चूँकि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध हैं अतः वर्तमान में एफ.सी.ओ./ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****